न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 56 / 2024 (2024 / 144)

अपीलार्थीगण :—

1. चिमाराम पुत्र नवलाराम
2. उमाराम पुत्र नवलाराम
3. मोहनराम पुत्र नवलाराम
   जातियान जाट, निवासीगण ग्राम चकरताणिया की ढाणी रतननगर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर ग्रामीण।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :—

1. अमेश बेरड़ पुत्र फताराम, जाति जाट, निवासी ग्राम चकरताणिया की ढाणी रतननगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर ग्रामीण।
2. तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर ग्रामीण।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.06.2024 जो तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 15 / 2024—25 में पारित किया जाकर प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 स्वीकार किया गया।

————

उपस्थिति :—

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री नरपत चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 01)

—: आदेश :— दिनांक :— 08.08.2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश दिनांक 11.06.2024 जो तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 15 / 2024—25 में पारित किया जाकर प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 स्वीकार किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओसियां में प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर बतलाया कि रेस्पो0 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 134 / 5 की भूमि ग्राम रतननगर तहसील ओसियां में स्थित है। ग्राम रतननगर से चण्डालिया जाने वाला रास्ता करीब 60 वर्षो से मौके पर चालू था जिस पर पहले से सड़क बनी हुई है। जिसे खसरा संख्या 04 के खातेदार द्वारा दिनांक 01.06.2024 को पत्थर के खूटे रोपकर तारबन्दी कर बन्द कर दिया गया है अन्त में खसरा संख्या 04 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:42:33 IST
Reason: SelfAttested

चल रहे कदीमी रास्ता को खुलवाया जावें। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर हल्का पटवारी से वस्तुस्थिति तलब की जाकर दिनांक 11.06.2024 को आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपत चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार ओसियां से तलब किया गया। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 29.07.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 08.08.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 05.06.2024 को पेश किया गया तथा 05.06.2024 को हल्का पटवारी से मौका की वास्तविक स्थिति तलब की गई। हल्का पटवारी ने मौके पर किसी प्रकार की जांच नहीं की। अपीलार्थी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कदीमी रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उतावलेपन से प्रकरण का निस्तारण कर दिया।

अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि जिस समय पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई उस समय अपीलार्थीगण मौके पर मौजूद नहीं थे तथा अपीलार्थीगण के मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं है। पटवारी द्वारा एक पक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसको आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की।

रेस्पो0 संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि उक्त कदीमी रास्ता पीढीयों से चल रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा रातो रात रास्ते पर अतिक्रमण किया गया तथा ग्रेवल सड़क को तोड़कर रास्ता बन्द कर दिया गया जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया। अपीलार्थीगण जानबूझकर मौका रिपोर्ट के समय उपस्थित नहीं रहे। अपीलार्थीगण का उक्त कृत्य अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। मौके पर सुखाचार के तहत रास्ता वक्त सैटलमेन्ट से चल रहा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जो विधिवत् तामिल हुए। अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:42:33 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् कार्यवाही अपनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अन्त में अपीलार्थीगण की अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी पर पत्रावली का फैसला कर दिया गया।

इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर फैसला किया गया है लेकिन अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलार्थीगण की मुख्य आपत्ति है कि पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई उस समय अपीलार्थीगण मौके पर उपस्थित नहीं थे। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 11.06.2024 जो तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 15/2024–25 में पारित किया, को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा उनकी मौजूदगी में पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय होने तक अपीलार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि रेस्पो0 व अन्य के आने–जाने में विवादग्रस्त रास्ते पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 08.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:42:33 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)